न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः प्रज्ञा केवलरमानी, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 91/2019 अपील (GCMS 2019/00114)
पंजीयन दिनांक– 07/11/2019
निर्णय दिनांक– 27/02/2026

खेमराज पिता मोडीलाल दर्जी, निवासी पूजानगर झाड़ोल, तहसील झाडोल (फ), जिला उदयपुर

–अपीलांट

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार–झाड़ोल, जिला उदयपुर

–रेस्पोडेंट

उपस्थितिः–

1. सम्पतलाल बोहरा – वकील अपीलांट
2. मुरलीधर पालीवाल – राज़कीय अभिभाषक

अपील अन्तर्गत धारा–76, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध न्यायालय अति. जिला कलक्टर, उदयपुर के प्रकरण संख्या 02/2018 निर्णय दिनांक 04.07.2019

निर्णय

दिनांकः 27/02/2026

अपीलांट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–76 के अन्तर्गत न्यायालय अति. जिला कलक्टर, उदयपुर के प्रकरण संख्या 02/2018 निर्णय दिनांक 04.07.2019 के विरूद्ध पेश की गयी।

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम झाडोल की आराजी नम्बर 3425/626 रकबा 1.6000 हैक्टयर किस्म आबादी में रास्ते की सीमा में 26 X 25 = 65 वर्ग फीट तथा राजकीय भवनों हेतु आरक्षित आराजी नम्बर 3392/626 करबा 0.84000 हैक्टयर किस्म आबादी में से 0.0170 हैक्टयर भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

करने से तहसीलदार, झाड़ोल ने धारा–91, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए दिनांक 16.08.2013 को अतिक्रमी अपीलांट खेमराज को भूमि से बेदखल करने तथा लगान की 50 गुना शास्ति आरोपित करने का आदेश दिया। इस आदेश के विरूद्व अपीलांट ने न्यायालय अति. जिला कलक्टर, उदयपुर में अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 11.02.2017 को स्वीकार की जाकर तहसीलदार, झाड़ोल का निर्णय दिनांक 16.08.2013 को अपास्त करते हुए निर्देशों के साथ प्रकरण प्रति प्रेषित किया। तहसीलदार, झाड़ोल ने प्रकरण पुनः प्राप्त होने से नये सिरे से दिनांक 02.12.2017 को आदेश पारित किया जिससे अपने पूर्व आदेश दिनांक 16.08.2013 को यथावत रखा।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने पुनः अपील न्यायालय अति. जिला कलक्टर, उदयपुर में पेश की जो दिनांक 04.07.2019 को खारिज की जाकर तहसीलदार, झाड़ोल के आदेश दिनांक 02.12.2017 को यथावत रखा गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की जहां से स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों की बहस सुनी गयी।

विद्वान वकील अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि तहसीलदार, झाड़ोल के प्रकरण संख्या 11/2013 में निर्णय दिनांक 16.08.2013 को अपीलांट को मौजा झाडोल की आराजी संख्या 3435 रकबा 1.6000 हैक्टयर किस्म आबादी में स्थित आम रास्ते में 65 वर्गफीट पर एवं राजकीय भवनों हेतु आरक्षित भूमि के खसरा नम्बर 3392/626 रकबा 0.840 हैक्टयर में से 0.0710 हैक्टयर पर अतिक्रमी माने हुए बेदखल करने का आदेश पारित किया गया, जिसकी प्रथम अपील न्यायालय

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

अति. जिला कलक्टर, उदयपुर में प्रस्तुत करने पर प्रकरण संख्या 04/2013 में पारित निर्णय दिनांक 11.02.2017 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करते हुए दिये गये ऑब्जरवेशन को ध्यान में रखते हुए तरमीम से संबंधित बिन्दुओं पर जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की गयी, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने नक्शे में तरमीम संबंधी गलतियों को छिपाने के लिये पूर्व के आदेश को बहाल रखने का आदेश पारित कर दिया। पूर्व में नक्शे में हेरा फेरी की शिकायत जिला कलक्टर, उदयपुर को करने पर उपखण्ड अधिकारी, झाडोल ने नक्शे में तरमीम संबंधी गलती होना पाया एवं रिपोर्ट पेश की, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध अपीलांट पर ही गलत आरोप लगाकर मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, झाडोल ने आराजी नम्बर 3637/626 पर अपीलांट का मकान बना होने के बावजूद गलत आधारों पर निर्णय पारित किया है। अपीलांट का आराजी संख्या 3435/626 किस्म आबादी के 65 वर्गफीट भूमि पर एवं आराजी संख्या 3392/626 में 0.0710 हैक्टयर पर अपीलांट का नाज़ायज कब्जा गलत आधारों पर बताया गया है। अपीलांट का एक इंच मात्र भी अतिक्रमण नहीं है। इस प्रकार न्यायालय अति. जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय के अनुसरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पालना न कर गलत आधारों पर पुनः पूर्वाधार पर ही निर्णय पारित कर दिया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य होने से अति. जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष अपील प्रस्तुत की थी, परन्तु उक्त न्यायालय ने अपील खारिज करने का निर्णय पारित किया जो विधि के विपरित होने से काबिल निरस्त के है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के कथित निर्णय निरस्त फरमाया जाकर नक्शे में सही तरमीम किये जाने एवं अपीलांट के विरूद्ध धारा–91, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही उक्त जमीन संबंधी भविष्य में नहीं किये जाने बाबत आदेश

न्यायालय संभागीय आयुक्त उदयपुर

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

प्रदान कराने हेतु अनुरोध किया गया। अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी.–2006 पृष्ठ 278, आर.आर.डी.–2003 पृष्ठ 443 व आर.आर.डी.–2002 पृष्ठ 583 प्रस्तुत किए।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि एवं रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से स्पष्ट हैं ऐसी स्थिति में अपीलांट अतिक्रमी होकर किसी प्रकार की राहत पाने का अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णय विधिनुसार है, जिससे अपील अपीलांट निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

हमने विद्वान वकीलों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। संक्षेप में तरमीम से संबंधित बिन्दुओं पर बाद जांच प्रतिप्रेषित प्रकरण में राजकीय भवनों हेतु आरक्षित भूमि पर अपीलार्थी का अतिक्रमण साबित होने पर बेदखली संबंधी आदेश के विरूद्ध अनुतोष चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा किए गए अतिक्रमण को व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित होकर अवैधानिक माना है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में अपीलार्थी द्वारा अपनी खातेदारी के समीपवर्ती राजकीय भूमि को अनाधिकृत रूप से प्राप्त करने की मंशा से पृथक–पृथक पत्रावलियॉ कायम करवाकर अपना क्लेम प्रस्तुत किया है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद परीक्षण की गई निरस्तगी को उचित समझा जाता है। अतिक्रमण के आधार पर राजकीय भूमियों के आवंटन/नियमन का प्रयास सर्वथा अनुचित होकर हतोत्साहन योग्य है। अपीलार्थी द्वारा कई मर्तबा अतिक्रमण कर राजकीय भवन निर्माण प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि को भी हासिल करने की कुचेष्टा, उसे आदतन अतिक्रमी की श्रेणी में परिभाषित करती है।

उक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय, अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर के आदेश दिनांक 04.07.2019 में किसी भी

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझा जाता है। अतः अपीलार्थी की अपील गुणावगुण के आधार पर पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है तथा अतिक्रमित बिलानाम भूमि से की गई बेदखली को यथावत रखा जाता है।

(प्रज्ञा केवलरमानी)
सभागीय आयुक्त
उदयपुर

निर्णय आज दिनांक 27.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रज्ञा केवलरमानी)
सभागीय आयुक्त
उदयपुर